Sr. Manager (F&A)
19/3/24

DGM (F&A) / Payment II
7/3/24

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

पत्रांक–03/ऊ० (यो०)02/23 .....

झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग

Dir. (D&P)
Dir. (Fin.)

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

Managing Director
Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited

G.M. (P&F.M.)
07/03/2024
Director Finance
J.B.V.N.L

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, राँची

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

राँची, दिनांक : .....

CD
05.03.2024

विषय :– ''मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना'' हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुपूरक के माध्यम् से बजट उपबंधित राशि रु० 202.00 करोड़ (रू० दो अरब दो करोड़ मात्र) झा०बि०वि०नि०लि० को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:– स्वीकृत

माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं अन्य नागरिक मंच के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि वर्त्तमान समय में भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कई टोले/गाँव/घर अविद्युतीकृत हैं एवं शहरी क्षेत्रों में भी कई स्थल विद्युत आपूर्ति से वंचित हैं। इस क्रम में इन अविद्युतीकृत टोलों/स्थलों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभागीय पत्रांक 2542, दि० 20.12.2022 एवं पत्रांक 676 दि० 27.03.2023 द्वारा सभी जिलों से अविद्युतीकृत टोलों/स्थलों की सूची की माँग विहित प्रपत्र में की गयी।

प्रबंध निदेशक (योजना)
डी०नं० 964 दि० 06/3/24
झा०बि०वि०निगम लिमिटेड

2. सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची को आवश्यक कार्रवाई हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० को भेजी गयी। तद्नुसार सम्बन्धित विद्युत अधीक्षण अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा इन अविद्युतीकृत टोलों/गाँवों/स्थलों के विद्युतीकरण हेतु आवश्यक विद्युत संरचना की जानकारी दी गयी। वित्तीय वर्ष 2022–23 के SOR के आधार पर झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा डी०पी०आर० तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना की कुल लागत लगभग 1485.39 करोड़ है एवं जिसकी विवरणी निम्नवत है:–

JHARKHAND BIJLI VITRAN NIGAM
D.No./F.No. 350
Dated 07/03/24

Sl. No.	Description	No. of Tolas/ Places	No. of UE Households	Cost (Rs. In Crore)
1	UE Tolas(Above 10 HHs)	1966	64614	395.18
2	UE Tolas(Below 10 HHs)	851	5993	88.14
3	PE Tolas	4980	126185	781.39
4	Urban Places	1525	41773	191.55
Sub – Total :-				1456.26
PMC and contingency Cost @ 2%				29.13
Total Cost of the Project :-				1485.39

3. प्रबंध निदेशक, झा०बि०वि०नि०लि० के पत्रांक 431, दिनांक 09.06.2023 द्वारा राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों/घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जिलावार विस्तृत कार्य योजना एवं इसकी लागत की विवरणी भी झा०बि०वि०नि०लि० द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। योजना की स्वीकृति झा०बि०वि०नि० लि० के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 08.06.2023 में प्राप्त है।

GM (P&FM) CELL
D. No. 3917 Dt. 11/03/24

4. RDSS योजना के अनुश्रवण समिति की 15वीं बैठक में छूटे हुए/बचे हुए अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण हेतु कतिपय मापदंड/दिशा–निर्देश के साथ स्वीकृति दी गयी। इसके आलोक में योजना हेतु Funding Pattern निम्नवत होगा:–

(Rs. In Crore)

Sl. No.	Description	No. of Tolas/ Places	No. of UE Households	Cost as per SOR FY 2022-23 (A)	Cost Eligible as per RDSS guideline (B)	Funding by PFC under RDSS (C= 60% of B)	Funding by GoJ (A-C)
1	UE Tolas (Above 10 HHs)	1966	64614	395.18	145.38 (@22,500/HH)	87.23	307.95
2	UE Tolas (Below 10 HHs)	851	5993	88.14	0	0	88.14
3	PE Tolas	4980	126185	781.39	141.96 (@11,250/HH)	85.17	696.22
4	Urban Places	1525	41773	191.55	0	0	191.55
Sub – Total :-				1456.26	287.34	172.40	1283.86
PMC and contingency Cost @ 2%				29.13	0	0	29.13
Total Cost of the Project :-				1485.39	287.34	172.40	1312.99

RDSS योजनान्तर्गत राशि रु० 172.40 करोड़ की स्वीकृति पी०एफ०सी०/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त की जाएगी तथा शेष राशि रु० 1312.99 करोड़ राज्यांश के रूप में होगा। भारत सरकार द्वारा राज्य को विद्युतीकरण हेतु विशेष श्रेणी में दर्जा मिलने के उपरांत RDSS योजनान्तर्गत अनुमानित राशि रु० 287.34 करोड़ में वृद्धि होगी एवं उसी अनुरूप भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की राशि में भी वृद्धि होगी। इस संदर्भ में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के पत्रांक 600, दि० 09.06.2023 द्वारा पी०एफ०सी० से सहमति प्राप्त करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है। RDSS योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का समायोजन राज्यांश की राशि से की जाएगी।

5. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से निम्नलिखित सुझावों पर सहमति हेतु अनुरोध किया गया है:–

(i) 10 घरों से अधिक और 10 घरों से कम के Differentiation को समाप्त करते हुए 10 घरों से कम मकान वाले टोले को भी RDSS के तहत् अच्छादन किया जाए।

(ii) Un-electrified तथा Partially Electrified टोले के लागत के Differrentiation को समाप्त किया जाए।

(iii) शहरी क्षेत्रों को भी RDSS योजना के तहत् आच्छादित किया जाए।

(iv) सभी प्रकार के छुटे मकान के लिए एक ही दर निर्धारित किया जाए।

उपरोक्त सुझावों पर विचार करते हुए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा RDSS के तहत् स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति में राज्यांश में परिवर्त्तन हो सकता है, जिसके क्रम में संशोधित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

6. दिनांक 17.07.2023 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में योजना पर निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गयी है, जिसका अनुपालन झा०बि०वि०नि०लि० द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा:–

i. कंडिका 5 के क्रमांक 1 एवं 3 पर वर्णित योजना, जो RDSS के तहत् आच्छादित है, पर PFC/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से यथाशीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाय।

ii. भारत सरकार से विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अनवरत पुरजोर प्रयास किए जाएँ।

iii. कंडिका 7 के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए लगातार सशक्त प्रयास किए जाएँ।

आवश्यकतानुसार इसके लिए विभाग के स्तर से Liasioning Officer को भी नामित करते हुए Follow up किया जाए।

iv. सक्षम स्तर से बजट शीर्ष गठित करते हुए समुचित राशि का प्रावधान किया जाए।

7. प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ सहमति दी गयी है, जिसका अनुपालन झा०बि०वि०नि०लि० द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा:–

- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत Unelectrified एवं Partially electrified टोलों/गाँवों में विद्युतीकरण हेतु प्रति Household अनुमानित व्यय की राशि के संदर्भ में प्रशासी विभाग जाँच कर आवश्वत हो लेंगे।

- प्रशासी विभाग संलेख की कंडिका–5 के कॉलम C में वर्णित राशि RDSS योजना के तहत् प्राप्त करने हेतु Cost Component का छोड़कर शेष शर्तों को पूरा करेंगे।

8. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.11.2023 के मद सं० 02 में लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 2190, दि० 16.11.2023 द्वारा निम्न प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है:–
   i) **''मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना''** के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों/घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़, जिसमें RDSS के तहत् GoI Grant की राशि रु० 172.40 करोड़ एवं राज्य स्कीम के तहत् राशि रु० 1312.99 करोड़ समाहित है, की प्रशासनिक स्वीकृति।
   ii) यह एक नई योजना है, जिसके निमित नये बजटशीर्ष खोलने तथा अनुपूरक के माध्यम से राशि रू० 2.00 करोड़ प्राप्त करने की स्वीकृति।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 531, दि० 08.08.2023 द्वारा ''मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना'' हेतु प्रथम अनुपूरक 2023–24 के माध्यम् से प्रावधानित राशि रु० 2.00 करोड़ एवं पत्रांक 860, दि० 28.12.2023 द्वारा ''मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना'' हेतु द्वितीय अनुपूरक 2023–24 के माध्यम् से प्रावधानित राशि रु० 200.00 करोड़ व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

10. महाप्रबंधक (ग्रामीण परियोजना), झा०बि०वि०नि०लि० के पत्रांक 30, दि० 19.01.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि ''मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना'' के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों/घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय संकल्प सं०– 2190, दि० 16.11.2023 द्वारा प्रदान की गयी है, जिसमें RDSS के तहत् GoI Grant की राशि रु० 172.40 करोड़ एवं राजय स्कीम के तहत् राशि रु० 1312.99 करोड़ समाहित है। इस योजना के मद में सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु राशि रु० 202.00 करोड़ की आवश्यकता है। साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि विमुक्त करने की अधियाचना की गयी है।

11. उपर्युक्त के आलोक में ''मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना'' के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतीकृत टोलों/घरों तथा शहरी क्षेत्रों के बचे हुए अविद्युतीकृत स्थानों को विद्युतीकृत करने हेतु प्राक्कलित राशि रु० 1485.39 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुपूरक के माध्यम् से बजट उपबंधित राशि रु० 202.00 करोड़ (रू० दो अरब दो करोड़ मात्र) झा०बि०वि०नि०लि० को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

12. राशि निम्नांकित बजट शीर्षान्तर्गत निम्न रूप से विकलित होगी :–

बजटशीर्ष	राशि (रूपये में)
मुख्य शीर्ष–2801–बिजली, उपमुख्य शीर्ष–05–संचारण तथा वितरण, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उपशीर्ष–08–मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) विपत्र कोड 10S28010505208000679	रु० 1,25,24,00,000.00 (रू० एक अरब पचीस करोड़ चौबीस लाख मात्र)
मुख्य शीर्ष–2801–बिजली, उपमुख्य शीर्ष–05–संचारण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–08–मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) विपत्र कोड 10S28010578908000679	रु० 24,24,00,000.00 (रु० चौबीस करोड़ चौबीस लाख मात्र)
मुख्य शीर्ष–2801–बिजली, उपमुख्य शीर्ष–05–संचारण तथा वितरण, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–08–मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) विपत्र कोड 10S28010578908000679	रु० 52,52,00,000.00 (रु० बावन करोड़ बावन लाख मात्र)
कुल	रु० 2,02,00,00,000.00 (रु० दो अरब दो करोड़ मात्र)

13. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरंडा, राँची से किया जाएगा तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के पी०एल० खाता में जमा किया जाएगा।

14. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा निम्न शर्त्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा :–

i) विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

ii) योजना का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ऊर्जा विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

iii) अंकेक्षण हेतु लेखा संबंधी कागजात एवं विवरणी का संधारण ससमय करेंगे।

iv) राशि की निकासी में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–1800, दिनांक–15.07.2003, वित्त विभाग के पत्रांक 2247, दि० 12.04.2002, कोषागार संहिता के नियम 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

v) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण नहीं हो रहा हो। साथ ही, इस योजनान्तर्गत राशि किसी अन्य शीर्ष से व्यय नहीं की जा रही हो। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

15. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा पी०एल० खाता से राशि की नियमानुसार निकासी सचिवालय कोषागार, डोरंडा, राँची से की जाएगी।

16. वित्त विभाग के संकल्प सं० 759/वि०, दि० 20.03.15 द्वारा सहायता अनुदान मद की राशि की निकासी कोषागार से करने हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल किया गया है।

17. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (ऊर्जा) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

गोपनीय
मुहरबंद

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)02/23 ..... दिनांक :.....

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)02/23 ..... दिनांक : .....

प्रतिलिपि–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :03/ऊ० (यो०)02/23 ...220... दिनांक : ...01/03/2024...

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची/माननीय मुख्य (ऊर्जा) मंत्री के वरीय आप्त सचिव/उप सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 2419

पत्रांक संख्या :- 220

झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

स्वीकृत्यादेश

पत्रांक दिनांक :- 01/03/2024

प्रेषक,

AVINASH KUMAR
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY
NEAR MDI BHAWAN, ENERGY DEPARTMENT, DHURWA, RANCHI

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।

द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : SANCTION ORDER FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24.

आदेश- स्वीकृत।

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 10 - ऊर्जा विभाग के, राज्य स्कीम के
मुख्यशीर्ष - 2801-बिजली
उपमुख्य शीर्ष - 05-संचारण तथा वितरण

राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
052-मशीनरी तथा उपस्कर	☐1,25,24,00,000.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	☐52,52,00,000.00
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	☐24,24,00,000.00
कुलराशि :-	**☐2,02,00,00,000.00**

Run Date: 01/03/2024

136.233.39.227

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
10S280105789080679	08 - मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखण्ड योजना अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी	79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	
10S280105796080679	विद्युतीकरण	79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	
10S280105052080679		79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी BINOD EKKA (DRNENG002), DY SECT.ENERGY DEPT.JHARKHD होंगे तथा राशि ☐2,02,00,00,000.00/- की निकासी Doranda कोषागार से की जाएगी।

3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

136.233.39.227 Run Date: 01/03/2024